

प्रवासी भारतीयों की पहचान, संघर्ष और उनका असमंजस

प्रवासी दृष्टि : समाज, संस्कृति और सोच



डॉ. पंकज राजवात्री

एसआईआर की प्रक्रिया में जारी की जाने वाली मतदाता सूची वास्तव में नागरिक मतदाता सूची है और यह विषय चुनाव आयोग की Autonomy (स्वत्व अधिकार) का है

त्रु

टिप्पणी मतदाता सूचियों को लेकर, अथवा विशेष गहन पुनरीक्षण (1/4SIR1/2) को लेकर, अथवा मतदाता सूचियों से मतदाता का नाम काटने और जोड़ने को लेकर आदि से संबंधित कई आयोगों को लेकर चुनाव आयोग पर उनके कर्मचारियों पर पक्षपात करने को लेकर तस्वीरीनाहीनता, अवैध आवश्यक के अपेक्षा लागते जाकर वर्तीं तक कि इन कल्पों को लेकर चुनावी की नाम की संज्ञा जा रही है। आयोगों को यह सिलसिला वर्तीं तक पहुँच गया है कि एनटीए के कई नेताओं ने विषय के नेता पर देश में असंवित फैलाने का कृत्य कहा है और यहाँ तक कहा है कि वे देश के युवाओं को वे जनरेशन जैड को देश के विरुद्ध भक्ता रहे हैं। नेताओं का कहना है कि विषय के नेता ने एस पर लिखा है “देश के युवा देश के छात्र जेन जैड संविधान को बचायें और बढ़ावा दें कोरोना को रोकें।”

मतदाता सूचियों की अवैधता की अवैधता के अधिकार एस पर विषय देश की संसद, देश की सङ्केतों पर और चुनाव आयोग के कार्यालय में उठा चुके हैं और कई जनहित याचिकायें न्यायालय में पेश की जा रही हैं, कुछ पर सुनवाई की जा रही है। विषय कोट्ट की कार्यवाही को रोके जाने से अन्तरिम निवेशाना का आदेश देश कोट्ट ने देने से मना कर दिया है, किन्तु कुछ अन्तरिम आदेश दिये थे ही हैं। जैसे माननीय सुप्रीम कोट्ट ने एक आदेश दिया है कि अन्य 11 डॉक्यूमेंट्स के साथ नाम जोड़ने और आधार कार्ड का प्रयोग किया जा सकता है, साथ ही यह भी कहा है कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है।

केसेज में सुप्रीम कोट्ट की कार्यवाही के अधिकार ने तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 324, 326, 329 व अन्य प्रावधानों से यह नियन्त्रण निकाला जा सकता है कि न्यायालय के समक्ष दो मूल प्रसन हैं, प्रथम है क्या एसआईआर पर नियन्त्रण लाना आयोग का विवेकाधिकार है? द्वितीय है क्या वह मानला जा सकते कि अधिकार अनुच्छेद 3 के तहत पीआईएस में दिया जा सकता है? प्रथम प्रसन के साथ यह मुद्दा भी विचारणीय है कि जब संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुच्छेद के लिए नागरिक का ही अधिकार है तो फिर अप्रावसियों को जो बांगलादेश, प्याराम से आय हुये अवैध पाइयो-न्स हैं, उन्हें एसआईआर की कार्यवाही में कैसे मतदाता करने का अधिकार दिया जा सकता है? जबकि नागरिकता तथा करने का मापदण्ड अनुच्छेद 6 से 11 में दिया है।

कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है इसे तथा करने का अधिकार भारत के गृह मंत्रालय का है। अवैध प्रवासियों में से, जिनके बाबत एसआईआर की कार्यवाही में अवैध प्रवासी हाने की आपत्ति उठाई है, उन्होंने भारत सरकार के समक्ष नागरिकता प्राप्त करने की कार्यवाही नहीं की है। इस प्रकार नागरिकता का प्रसन भी संवैधानिक प्रसन है। चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि अवैध प्रवासियों की जाँच को जावे, उनसे शपथ-पत्र लिया जावे कि उनका जन्म 1 जुलाई, 1987 से पूर्व भारत में हुआ था, विकल्प में उनका जन्म 1 जुलाई, 1987 और दिसंबर, 2024 के मध्य हुआ है। उनसे उनके माता-पिता के जन्म स्थान के दस्तावेज लिये जावें।

अनुच्छेद 324 में संविधान ने सांसदों व विधायकों को चुनाव की मतदाता सूची तैयार करने का सचालन, अधिकार व नियन्त्रण का पूर्ण दायित्व दिया है और अनुच्छेद 326 में स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव की खड़े होने का अधिकार केवल नागरिक प्राप्त करने की कार्यवाही है। इसके अतिरिक्त इसी 191 में संवैधानिक प्रसन करने के अनुच्छेद 32 के तहत पीआईएस में दिया जा सकता है? प्रथम प्रसन के साथ यह मुद्दा भी विचारणीय है कि जब संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुच्छेद के लिए नागरिकता का ही अधिकार है तो फिर अप्रावसियों को जो बांगलादेश, प्याराम से आय हुये अवैध पाइयो-न्स हैं, उन्हें एसआईआर की कार्यवाही में कैसे मतदाता करने का अधिकार दिया जा सकता है? जबकि नागरिकता तथा करने का मापदण्ड अनुच्छेद 6 से 11 में दिया है।

अनुच्छेद 326 में संविधान ने तथा भारत के विधायकों को चुनाव की मतदाता सूची तैयार करने का सचालन, अधिकार व नियन्त्रण का पूर्ण दायित्व दिया है और अनुच्छेद 326 में स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव की खड़े होने का अधिकार केवल नागरिक प्राप्त करने की कार्यवाही है। इसके अतिरिक्त इसी 191 में संवैधानिक प्रसन करने के अनुच्छेद 32 के तहत पीआईएस में दिया जा सकता है? प्रथम प्रसन के साथ यह मुद्दा भी विचारणीय है कि जब संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुच्छेद के लिए नागरिकता का ही अधिकार है तो फिर अप्रावसियों को जो बांगलादेश, प्याराम से आय हुये अवैध पाइयो-न्स हैं, उन्हें एसआईआर की कार्यवाही में कैसे मतदाता करने का अधिकार दिया जा सकता है? जबकि नागरिकता तथा करने का मापदण्ड अनुच्छेद 6 से 11 में दिया है।

अनुच्छेद 326 में संविधान ने सांसदों व विधायकों को चुनाव की मतदाता सूची तैयार करने का सचालन, अधिकार व नियन्त्रण का पूर्ण दायित्व दिया है और अनुच्छेद 326 में स्पष्ट कर दिया है कि इसके अवैधता को लाभ नहीं होता है। इसके अतिरिक्त इसी 191 में संवैधानिक प्रसन करने के अनुच्छेद 32 के तहत पीआईएस में दिया जा सकता है? प्रथम प्रसन के साथ यह मुद्दा भी विचारणीय है कि जब संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुच्छेद के लिए नागरिकता का ही अधिकार है तो फिर अप्रावसियों को जो बांगलादेश, प्याराम से आय हुये अवैध पाइयो-न्स हैं, उन्हें एसआईआर की कार्यवाही में कैसे मतदाता करने का अधिकार दिया जा सकता है? जबकि नागरिकता तथा करने का मापदण्ड अनुच्छेद 6 से 11 में दिया है।

अनुच्छेद 326 में संविधान ने तथा भारत के विधायकों को चुनाव की मतदाता सूची तैयार करने की आपत्ति उठाई है, उन्होंने भारत सरकार के समक्ष नागरिकता प्राप्त करने की कार्यवाही नहीं की है। इस प्रकार नागरिकता का प्रसन भी संवैधानिक प्रसन है। चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि अवैध प्रवासियों की जाँच को जावे, उनसे शपथ-पत्र लिया जावे कि उनका जन्म 1 जुलाई, 1987 से पूर्व भारत में हुआ था, विकल्प में उनका जन्म 1 जुलाई, 1987 और दिसंबर, 2024 के मध्य हुआ है। उनसे उनके माता-पिता के लिये और सदस्य चुने जाने के लिये Disqualified (निरहित) होगा।

अनुच्छेद 326 में संविधान ने सांसदों व विधायकों को चुनाव की मतदाता सूची तैयार करने का सचालन, अधिकार व नियन्त्रण का पूर्ण दायित्व दिया है और अनुच्छेद 326 में स्पष्ट कर दिया है कि इसके अवैधता को लाभ नहीं होता है। इसके अतिरिक्त इसी 191 में संवैधानिक प्रसन करने के अनुच्छेद 32 के तहत पीआईएस में दिया जा सकता है? प्रथम प्रसन के साथ यह मुद्दा भी विचारणीय है कि जब संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुच्छेद के लिए नागरिकता का ही अधिकार है तो फिर अप्रावसियों को जो बांगलादेश, प्याराम से आय हुये अवैध पाइयो-न्स हैं, उन्हें एसआईआर की कार्यवाही में कैसे मतदाता करने का अधिकार दिया जा सकता है? जबकि नागरिकता तथा करने का मापदण्ड अनुच्छेद 6 से 11 में दिया है।

अनुच्छेद 326 में संविधान ने तथा भारत के विधायकों को चुनाव की मतदाता सूची तैयार करने की आपत्ति उठाई है, उन्होंने भारत सरकार के समक्ष नागरिकता प्राप्त करने की कार्यवाही नहीं की है। इस प्रकार नागरिकता का प्रसन भी संवैधानिक प्रसन है। चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि अवैध प्रवासियों की जाँच को जावे, उनसे शपथ-पत्र लिया जावे कि उनका जन्म 1 जुलाई, 1987 से पूर्व भारत में हुआ था, विकल्प में उनका जन्म 1 जुलाई, 1987 और दिसंबर, 2024 के मध्य हुआ है। उनसे उनके माता-पिता के लिये और सदस्य चुने जाने के लिये Disqualified (निरहित) होगा।

अनुच्छेद 326 में संविधान ने तथा भारत के विधायकों को चुनाव की मतदाता सूची तैयार करने का सचालन, अधिकार व नियन्त्रण का पूर्ण दायित्व दिया है और अनुच्छेद 326 में स्पष्ट कर दिया है कि इसके अवैधता को लाभ नहीं होता है। इसके अतिरिक्त इसी 191 में संवैधानिक प्रसन करने के अनुच्छेद 32 के तहत पीआईएस में दिया जा सकता है? प्रथम प्रसन के साथ यह मुद्दा भी विचारणीय है कि जब संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुच्छेद के लिए नागरिकता का ही अधिकार है तो फिर अप्रावसियों को जो बांगलादेश, प्याराम से आय हुये अवैध पाइयो-न्स हैं, उन्हें एसआईआर की कार्यवाही में कैसे मतदाता करने का अधिकार दिया जा सकता है? जबकि नागरिकता तथा करने का मापदण्ड अनुच्छेद 6 से 11 में दिया है।

अनुच्छेद 326 में संविधान ने तथा भारत के विधायकों को चुनाव की मतदाता सूची तैयार करने की आपत्ति उठाई है, उन्होंने भारत सरकार के समक्ष नागरिकता प्राप्त करने की कार्यवाही नहीं की है। इस प्रकार नागरिकता का प्रसन भी संवैधानिक प्रसन है। चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि अवैध प्रवासियों की जाँच को जावे, उनसे शपथ-पत्र लिया जावे कि उनका जन्म 1 जुलाई, 1987 से पूर्व भारत में हुआ था, विकल्प में उनका जन्म 1 जुलाई, 1987 और दिसंबर, 2024 के मध्य हुआ है। उनसे उनके माता-पिता के लिये और सदस्य चुने जाने के लिये Disqualified (निरहित) होगा।

अनुच्छेद 326 में संविधान ने तथा भारत के विधायकों को चुनाव की मतदाता सूची तैयार करने का सचाल